

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

सतर्कता एकक

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 5^{वां} अगस्त, 2014
6^{मं}

सेवा में,

श्री सुरेश कुमार मिश्र,

646, Z Type-II,

तिमारपुर, दिल्ली-110054

विषय: - आर.टी.आई एक्ट 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन।

आपके आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2014 तथा 28.07.2014 के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि सतर्कता एकक के द्वारा डी.पी.सी. से संबंधित किसी भी प्रकार का पत्र अप्रैल, 2004 में नहीं जारी किया गया था। गृह मंत्रालय के दिनांक 02.04.2004 (प्रति संलग्न) के आदेश के द्वारा श्री सुरेश कुमार मिश्र के निलंबन की अवधि को 180 दिन के लिए बढ़ाया गया था। आपके आवेदन को संबंधित प्रभाग (प्रशा.) को भी अंतरित किया जा रहा है।

2. इस मामले में अपिली प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्र.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार है।

श. 2 अगस्त

(श्यामला मोहन)

निदेशक (प्र. तथा स.), भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव (प्रशा.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार

2. अ.अ. (आई.टी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार

No. C-12020/135/2001-VC
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

.....
New Delhi, the


ORDER

WHEREAS Shri S.K. Mishra, Assistant, Ministry of Home Affairs was placed under deemed suspension w.e.f. 2.11.2001 i.e. the date of his detention, in terms of sub rule(2) of Rule-10 of the Central Civil Services(Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 vide order of even number dated 29.11.2001.

2. AND WHEREAS the review committee in its meeting held on 25th March, 2004, reviewed the case of suspension of Sh. S.K.Mishra and recommended continuance of his suspension for a further period of 180 days or till the next review, whichever is earlier, on the ground that the case against him is still pending trial in the court.

3. Taking into consideration, the recommendations made by the Review Committee, the suspension of Sh. S.K. Mishra is extended for a further period of 180 days or till the next review, whichever is earlier.

(By Order and in the name of the President)


(S.P. Shokhnda)
Under Secretary(Vig.)
Tel.No. 23093094

To

Shri S.K. Mishra,
Assistant,
145-MS,
Type-III,
Timarpur, Delhi-54.

- Copy to:-
- (1) US(Ad.II),MHA
 - (2) Ad.II/Ad.VI/Cash-I/Cash-II Sections, Ministry of Home Affairs.
 - (3) Smt. Hema Rawat, UDC, Vigilance Cell, MHA.
 - (4) CR dossier of the official.

DIR:- 319217
Date: 28/7/2014

सेवा में,
निदेशक (प्रशासन व सतर्कता),
Vigilance-cell,
M.H.A, नई दिल्ली।
महोदय,

गृह मंत्रालय संदर्भ पत्र
संख्या - C-12020/14/2014 जो दिनांक
रहित है। इस पर जुलाई 2014
लिखित है। *Be careful.*

2- मुझे वांछित पत्र अप्रैल, 2004 के
प्रथम सप्ताह में जारी किया गया था
जिसमें DPC दिनांक 25/03/2004 के
गठन की सूचना निहित है जो
मुझे अपील प्रतिवेदन करने के लिए
संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं सतर्कता)
महोदय की जानकारी हेतु चाहिए।

3- वांछित पत्र की तारीख 02/04/2004
अथवा 04/04/2004 हो सकती है।
कृपया इसे good faith में प्रदान
किया जाए।

सधन्यवाद,

दिनांक;
28/07/2014

भवदीय,
सुरेश कुमार मिश्रा
(SURESH KUMAR MISHRA)
646 - G-type-II,
TIMARPUR,
DELHI-110054

28/7/14
ms/vjg

28/7/2014

50 (Vij)

3/7

Dr. Prjit

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

सतर्कता एकक

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 25 जुलाई, 2014

सेवा में,

श्री सुरेश कुमार मिश्र,

646, Z Type-II,

तिनारपुर, दिल्ली-110054

विषय: - आर.टी.आई एक्ट 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन।


आपके आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2014 के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि माँगी गई पत्र का निश्चित दिनांक उल्लिखित न होने के कारण सुचना प्रदान नहीं किया जा सकता है। कृपया माँगी गई पत्र का निश्चित दिनांक उपलब्ध कराये।

2. इस मामले में अपिली प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्र.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार है।

श. श्यामला मोहन

(श्यामला मोहन)

निदेशक (प्र. तथा स.), भारत सरकार



भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 15/4/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री.....
का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री.....के दिनांक: 17/4/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय के से अंतरण द्वारा दिनांक 10/4/2014 को प्राप्त) को..... पक्ष को अर्पित करने का निर्देश हुआ है। क्योंकि नतीजा यह सूचना उक्त पक्ष के क्रियकलाओं से संबंधित है/लिंकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किरा-अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदन को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उक्त प्राधिकारी को अर्पित/अंतरित कर दिया जाय।

2. आवेदक ने 10- रु का निर्धारित शुल्क दिनांक: 11/4/2014 की रसीद सं: 2000001.....के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) नहीं किया है क्योंकि वह को पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : चथोपरि

सु. सामंत
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
जि.टी.आर. (ए.ए.सी.)
ओ.ए. मंत्रालय
जा.प. उद्यान नई दिल्ली

प्रति सूचनाएं प्रेषित :
श्री/श्रीमती/सुश्री सुदेश कुमार
ए.ए.सी. टुपल-1
पुणे - 411 004

17/4/14
15/4/14
17/4/14
17/4/14

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6
(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i))

रसीद / RECEIPT

सं. /No. 30001

दिनांक 11-07-20 14
Dated.....20.....

श्री/श्रीमती/सुश्री

Suresh Kumar Mishra

Received From Shri/Smt./Km.....

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ

के दिनांक 20

with Letter No./Reference No.....

Dated.....20.....

बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या

श्री F 949711

Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No.....

के रूप में रुपये की नकद धनराशि

the sum of Rupees by Cash

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।

on account of fee under Right to Information Act 2005.

आद्यक्षर/Initials

S

रुपये /Rs. 10/-

पदनाम / Designation

3913/R11/MHA/2014
14/7/14

सेवा में,

उप सचिव (E) एवं
CPIO,
MHA, NEW DELHI.

विषय: RTI Act 2005 के तहत सूचना।
अहोदरा,

सर्वप्रथम आपसे पत्राचार के
आवेदन सं. 12020/155/2001-VC की
विषय में सूचना है।

दिल्ली में 33 नार्थ इलाका के CPIO
सहमति के अभाव में 2005 के
अनुच्छेद 204 के तहत आवश्यक सूचनाएं
प्रदान नहीं किया जा रहा।

सूचना MHA पर सूचना -
12020/155/2001-VC
दिल्ली अधिनियम 2001 की एक
प्रति प्रदान की जाय।

आवेदन सं. 12020/155/2001-VC
की प्रतिकृति

प्रतिलिपि,
सुबोधन सिंह,
SIRSI RUMER, WISHA
646-5 type-II,
TIMARIPOK
DELHI
110054

Dist (ASV)
आवेदन सं.